न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्र0न0 — 038/2026

उनवान : —

1. संदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
2. अधिशाषी अधिकारी जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ।
3. संजय कुमार पुत्र राजेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए
एड एमकै गौड़ अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक....18/2/26....

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की कृषि भूमि चक 5 केएचआर के खाता सं0 225/202 के प.न. 234/204 के मु. 14 के किला न0 24, प0न0 234/205 के मु0न0 21 के किला न0 4, 5/1, 5/2 प0न0 235/205 के मु0न0 20 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10 प0न0 235/205 के मु0 19 के किला न 1, 2, 9, 10 की कुल 4.3010है0 वादी व प्रतिवादी सं0 3 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। जमाबंदी संलग्न है। उक्त वाद भूमि के प0न0 235/205 के मु0न0 20 के किला न0 5/2, 6/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0मु0 खाला राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। जबकि उक्त खाला को प्रतिवादी सं0 2 द्वारा दिनांक 28.05.1990 को निरस्त किया हुआ है। वादी ने राजस्व रिकोर्ड से उक्त खाला को हटवाने के लिए प्रतिवादीगण से निवेदन किया। तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया और वादी को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के लिए कहा। वादी ने श्रीमानजी के समक्ष पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली है। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजस्व टिब्बी प्रतिवादी सं0 1 अपने पत्रांक राजस्व/2025/2324 दिनांक 08.09.2025 में मौके पर उक्त खाला होना नहीं बताया है। व प्रतिवादी सं0 2 अधिशाषी अभियंता खण्ड द्वितीय हनुमानगढ ने अपने पत्रांक टीबी/2025/1994 दिनांक 27.10.2025 में उक्त जलमार्ग मौके पर चक प्लान अनुसार निरस्त बताया है व किसी भी न्यायालय में उक्त जलमार्ग को लेकर कोई अपील/नोअपील होना नहीं बताया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी व रिपोर्ट प्रतिवादीगण संलग्न वाद है।वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज गै0मु0 खाला को राजस्व रिकोर्ड में निरस्त कर उक्त रकबा की खातेदारी वादी के खाते में संयोजित की जावें। लेकिन प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें—घोषित किया जावें कि चक 5 केएचआर के खाता सं0 225/202 के प0न0 235/205 के मु0न0 20 के किला न0 5/2, 6/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0मु0 खाला को राजस्व रिकोर्ड से निरस्त कर उक्त रकबा को वादी व प्रतिवादीगण सं0 3 के खाते में समायोजित किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर से विभागीय रिपोर्ट संलग्न की गई। मुताबिक प्रतिवादी सं0 2 अधिशाषी अभियंता खण्ड द्वितीय हनुमानगढ ने अपने पत्रांक टीबी/2025/1994 दिनांक 27.10.2025 में उक्त जलमार्ग मौके पर चक प्लान अनुसार निरस्त बताया है व किसी भी न्यायालय में उक्त जलमार्ग को लेकर कोई अपील/नोअपील होना नहीं बताया है। एंव तहसीलदार राजस्व टिब्बी प्रतिवादी सं0 1 अपने पत्रांक राजस्व/2025/2324 दिनांक 08.09.2025 में मौके पर उक्त खाला होना नहीं बताया है।

साक्ष्य वादी में वादी द्वारा मुख्य परीक्षा शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत वर्तमान जमांबदी चक 5 केएचआर खाता सं0 225/202 प्रदर्श 1, रिंचाई विभाग का आदेश प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा वर्तमान जमांबदी, प्रतिवादी सं0 1 व 2 से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी की कृषि भूमि चक 5 केएचआर के खाता सं0 225/202 के प.न. 234/204 के मु. 14 के किला न0 24, प0न0 234/205 के मु0न0 21 के किला न0 4, 5/1, 5/2 प0न0 235/205 के मु0न0 20 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10 प0न0 235/205 के मु0 19 के किला न 1, 2, 9, 10 की कुल 4.3010है0 वादी व प्रतिवादी सं0 3 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि के प0न0 235/205 के मु0न0 20 के किला न0 5/2, 6/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0मु0 खाला राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। जबकि उक्त खाला को प्रतिवादी सं0 2 द्वारा दिनांक 28.05.1990 को निरस्त किया हुआ है। अतः राजस्व रिकोर्ड से कलमजन कर उक्त रकबा की खातेदारी हेतु अनुतोष चाहा है। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट मुताबिक उक्त गै0मु0 खाला को चक प्लान से उक्त किलाजात से निरस्त किया गया है। एवं मौके पर तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार कोई खाला मौजूद नहीं है। इस प्रकार वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं घोषणा की जाती है कि चक 5 केएचआर के प0न0 235/205 के मु0न0 20 के किला न0 5/2, 6/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0मु0 खाला को राजस्व रिकोर्ड में से निरस्त कर उक्त रकबा की खातेदारी खाता सं0 225/202 के कुल योग में समोजित की जावें। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/2/26 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी
(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

न0 — 038/2026

वान : —

1. संदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। **वादीया**

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
2. अधिशाषी अधिकारी जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ।
3. संजय कुमार पुत्र राजेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ। **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता एमके गौड़ की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 5 केएचआर के प0न0 235/205 के मु0न0 20 के किला न0 5/2, 6/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0मु0 खाला को राजस्व रिकोर्ड में से निरस्त कर उक्त रकबा की खातेदारी खाता सं0 225/202 के कुल योग में समोजित की जावें। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक ...18/2/26... मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर